


31.03.2021

पत्रावली पेश हुई। प्राथीने पत्र क्रमांक 187

दिनांक 12-03-2021 से अवगत कराया है कि अग्रणी
का ऋण खाता दिनांक 10-03-2021 को ~~रकमुश्त~~
रकमुश्त समझौता योजना 2020-21 के अंतर्गत बंद
हो चुका है। अंत में प्रकरण का निस्तारण का प्रकरण
को समाप्त करने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राथी द्वारा
अग्रणी का ऋण खाता बंद होना बताया है। प्राथी
प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया है। अतः प्राथी
के आवेदन पर एवं अग्रणी का ऋण खाता बंद होने
के कारण प्रकरण को समाप्त किया जाता है। निर्णय
की प्रमाणित प्रति प्राथी को उपरि की जावे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाइ तकमील डाखिल इत्दार है।


जिला मजकूर
कराली